भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4381
23 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

नए फूड पार्कों की स्थापना

4381. श्रीमती मंजुलता मंडल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भरक जिले के अंतर्गत धामनगर के पास ओडिशा औद्योगिक विकास निगम द्वारा भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल) को आंबटित की गई 58.625 एकड़ से अधिक भूमि पर एक फूड पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आई.डी.सी.ओ. का 234 एकड़ भूमि पर एक फूड पार्क स्थापित करने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परियोजना स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;
(घ) क्या चालू वित्त वर्ष में उक्त परियोजनाओं की स्थापना के लिए निधि आंवटन हेतु कोई प्रावधान किया गया है;और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): जी नहीं, फूड पार्क की स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

मेसर्स औद्योगिक विकास निगम ओडिशा (आईडीसीओ) ने इससे पहले मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.07.2016 के आमंत्रित किए गए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) नोटिस के प्रति दिनांक 04.10.2016 को भद्रक-जिले, ओडिशा में 109.74 एकड़ भूमि में फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया क्योंकि दिनांक 21.07.2016 के मेगा फूड पार्क योजना के दिशानिर्देशों के पैरा 5.1.6 में यह निर्धारित किया गया है कि पहले से स्वीकृत परियोजना को पूरा करने के दो वर्ष के भीतर उसी प्रमोटर(ओं) से स्वीकृति हेतु किसी दूसरे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और मंत्रालय ने पहले ही ओडिशा के डेरास में मेगा फूड पार्क के लिए मेसर्स आईडीसीओ को अनुमोदन दिया गया था, जो अभी भी कार्यान्वयनाधीन है।

चूंकि मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया था, वर्तमान वित्त वर्ष में उपरोक्त परियोजनाओं की स्थापना के लिए निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

*****